



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 09 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 302/2022 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहित सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी छांनी खुर्द थाना बिवार जनपद हमीरपुर को 09 माह के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी प्रवीण कुमार
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 तीर्थराज
पाण्डेय



पैरोकार- थाना बिवार
का0 श्रीकान्त राजपूत